



2026:AHC:24677

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19765/2025

राजेश कुमार

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 8 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अभिषेक विश्वकर्मा, चंद्र प्रकाश अवस्थी

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री चंद्र प्रकाश अवस्थी और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना गया।

2. इस न्यायालय ने 07.01.2026 को इस याचिका को स्वीकार किया था और विद्वान स्थायी अधिवक्ता को निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया था, जिसके पश्चात मामले को आज के लिए नियत किया गया था। श्री राहुल मालवीय, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं। उन्होंने निवेदन किया कि वे निर्देशों से पूर्णतः सुसज्जित हैं और निर्देश रिट याचिका के निस्तारण के लिए पर्याप्त हैं। वे कोई अतिरिक्त शपथ पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं और उनका अनुरोध है कि याचिका का निर्णय रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर कर दिया जाए, अतः पक्षों की सहमति से, रिट याचिका का निस्तारण नवीन चरण पर ही किया जा रहा है।

3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसकी नियुक्ति 19.07.2007 को ब्लॉक महुआ, तहसील अतर्रा, जनपद बांदा में पंचायत राज अधिकारी के पद पर हुई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, जब वह ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था, तब जिला पंचायत राज अधिकारी, बांदा द्वारा 16.05.2025 को एक आदेश पारित किया गया। उक्त दंड आदेश के विरुद्ध, याचिकाकर्ता ने रिट-ए संख्या **11006/2025** (राजेश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 7 अन्य) दायर की थी, जिसे 04.08.2025 को निम्नलिखित आदेश पारित करते हुए निस्तारित किया गया था:

"1. सुना गया। +

2. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने दंड के आदेश को चुनौती दी है जो कि लघु प्रकृति का है क्योंकि विवादित आदेश के तहत राशि की वसूली की मांग की गई है।

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का निवेदन है कि याचिकाकर्ता के पास दिनांक 16.05.2025 के आदेश के विरुद्ध वैधानिक अपील का प्रभावी उपचार उपलब्ध है, इसलिए याचिकाकर्ता को प्रथम दृष्टया उसी का लाभ उठाने हेतु निर्देशित किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. दिए गए तथ्यों, परिस्थितियों और विधिक स्थिति को देखते हुए जहाँ याचिकाकर्ता को विभागीय अपील का विकल्प उपलब्ध है, मैं इस याचिका को याचिकाकर्ता को वैधानिक अपील के उपचार का लाभ उठाने के निर्देश के साथ निस्तारित करना उचित समझता हूँ।

5. अतः, यह याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि यदि याचिकाकर्ता आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित अनुशासन एवं अपील नियमावली के तहत अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दिनांक 16.05.2025 के आदेश के विरुद्ध वैधानिक अपील प्रस्तुत करता है, तो उसका निस्तारण गुण-दोष के आधार पर, सकारण एवं सुस्पष्ट आदेश के माध्यम से और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आगामी दो माह की अवधि के भीतर किया जाएगा।

6. आज से तीन माह की अवधि तक या अपील के निस्तारण तक, जो भी पहले हो, दिनांक 16.05.2025 के आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्ता से कोई वसूली नहीं की जाएगी।”

4. तत्पश्चात, याचिकाकर्ता ने 18.08.2025 को प्रतिवादी संख्या 2, उप निदेशक (पंचायत), चित्रकूट धाम मंडल बांदा के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसकी प्रति रिकॉर्ड पर संलग्नक-20 पृष्ठ 124 के रूप में उपलब्ध है, और उक्त अपील को 14.11.2025 को खारिज कर दिया गया।

5. अपीलीय आदेश के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी, बांदा द्वारा पारित दंड आदेश दिनांक 16.05.2025 को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

6. आज आदेश पारित होने के उपरांत, जिला पंचायत राज अधिकारी, बांदा के हैस्ताक्षर युक्त निर्देश दिनांक 22.01.2026 प्रस्तुत किए गए हैं, जिन्हें रिकॉर्ड पर लिया गया है और परिशिष्ट-ए के रूप में अंकित किया गया है।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि मूल प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश और अपीलीय आदेश एक क्षण के लिए भी टिकने योग्य नहीं हैं, विशेष रूप से तब जब याचिकाकर्ता ने कोई कदाचार नहीं किया है और न ही कोई अनियमितता बरती गई है। तर्क यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर दिनांक 16.05.2025 के आदेश में विचार नहीं किया गया और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा भी याचिकाकर्ता के तर्कों पर विचार किए बिना अपील खारिज कर दी गई।

8. तर्क यह है कि यद्यपि अपीलीय आदेश विस्तृत प्रतीत होता है, परंतु उस आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलीय प्राधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी, बांदा से आख्या माँगी थी, जो प्रस्तुत नहीं की गई। तर्क यह है कि अपील के ज्ञापन में उठाए गए किसी भी बिंदु पर विचार नहीं किया गया और उन्हें आसानी से अनदेखा कर दिया गया। तर्क यह है कि याचिकाकर्ता ने पूर्व में रिट-ए संख्या **11006/2025** (राजेश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 7 अन्य) में दंड आदेश को चुनौती दी थी, जहाँ इस न्यायालय ने उसे अपील के उपचार का उपयोग करने का निर्देश दिया था, परंतु पाँच पृष्ठों 124 से 128 की विस्तृत अपील के बावजूद उस पर कोई विचार नहीं किया गया।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि जब अपील का वैधानिक अधिकार एक मूल्यवान अधिकार है, तो तर्कों पर विचार किया जाना चाहिए था।

10. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता ने अनियमितता की है और इसीलिए दंड आदेश पारित किया गया, तथापि उन्होंने स्वीकार किया कि अपील पर सही परिप्रेक्ष्य

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



में विचार नहीं किया गया है। उनके अनुसार, आदेश को निरस्त कर मामले को नए सिरे से आदेश पारित करने हेतु प्राधिकारी को वापस भेजा जा सकता है।

11. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और रिकॉर्ड का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है।

12. तथ्य निर्विवाद हैं। यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता ग्राम पंचायत राज अधिकारी है। कुछ आरोपों और शिकायतों के कारण जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा 16.05.2025 को एक आदेश पारित किया गया था, जिसके विरुद्ध याचिकाकर्ता ने रिट-ए संख्या **11006/2025** (राजेश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 7 अन्य) दायर की थी। उस याचिका को 04.08.2025 को निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता को अपील करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने 18.08.2025 को अपील प्रस्तुत की जिसे विवादित आदेश दिनांक 14.11.2025 द्वारा खारिज कर दिया गया। अपील में प्रस्तुत तर्क निम्नानुसार हैं:

“महोदय,

प्रस्तुत अपील उपरोक्त वर्णित अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक-16.05.2025 सेक्षुब्ध होकर निम्नांकित आधारों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

अपील के आधार

1- यह कि उपरोक्त वर्णित अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक-16.05.2025 विधिक तथ्यों एवं संलग्न साक्ष्यों WRIA No. 19765 of 2025 3 का अवलोकन किये बिना सरसरी तौर पर पारित कर दिया गया है। जो विधि विरुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण होने के कारण, न्यायहित में पुनः विचार किया जाना आवश्यक है।

2- यह कि प्रश्नगत अधिकारी द्वारा आरोप सं0-1 के निस्तारण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण में वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्य के रूप में संलग्न किये गये साक्ष्यों का विधिवत परिशीलन नहीं किया गया है। पात्र जाँच अधिकारी की दैर्घभावना सेग्रस्त होकर प्रेषित की गयी रिपोर्ट के आधार पर बिना अपने मस्तिष्क एवं दिवेक का प्रयोग किये, सरसरी तौर पर विधि विरुद्ध तरीके से निस्तारित किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त निस्तारण मस्तिष्क की अप्रयोज्यता के दोष से ग्रस्त है। इस कारण त्रुटिपूर्ण एवं निरस्त किये जाने योग्य है।

3- यह कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के सम्बन्ध में जारी शासनादेश सं0-25/2017/857/38-4-17-14 (विधि)/2016 टी०सी० दिनांक-22 अगस्त 2017 में वर्णित व्यवस्था का क्रमशः जाँच अधिकारी व नियोक्ता अधिकारियों द्वारा कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। तथा मनगढ़न्त व विधि विरुद्ध तरीके से आदेश पारित किये जाने के कारण न्यायहित में, उपरोक्त वर्णित शासनादेश के आलोक में, प्रश्नगत आदेश को संशोधित करते हुये वसूली पर तत्काल रोक लगाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

4- यह कि प्रश्नगत आदेश पूर्णतः जाँच अधिकारी की जाँच आख्या पर आधारित है। जाँच अधिकारी द्वारा, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण व संलग्न साक्ष्यों का बिना विधिवत परिशीलन एवं स्थलीय जाँच किये बिना ही, केवल कार्यालय में बैठकर, जल्दबाजी में, सरसरी तौर पर जाँच आख्या प्रेषित की गई है जबकि विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा इनके विरुद्ध दिवे गये प्रार्थना पत्रों क्रमशः 24.04.2025 एवं 30.04.2025 से क्षुब्ध होकर जाँच अधिकारी द्वारा पूर्वाग्रह से प्रेषित होकर जाँच आख्या प्रस्तुत की गयी है। जिसके कारण से स्पष्ट है कि पूर्वाग्रह सेग्रस्त जाँच रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया नियोक्ता अधिकारी का आदेश न्यायहित में संशोधित किये जाने योग्य है।

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5- यह कि जाँच अधिकारी की जाँच आख्या पूर्णतया भ्रामक व समय-समय पर जारी विभिन्न शासनादेशों के पूर्णतः विपरीत होनेके कारण, इसके आधार पर जारी प्रश्नगत आदेश संशोधित कियेजानेयोग्य है। व प्रार्थी द्वारा विधि विरुद्ध आवास की धनराशि की वसूली प्रार्थी के वेतन सेकिया जाना पूर्णतः विधि विरुद्ध व निरस्त किये जाने योग्य है।

6- यह कि उपरोक्त वर्णित शासनादेश को जाँच अधिकारी द्वारा नजरअन्दाज करतेहुयेसरसरी तौर सेबिना किसी तर्क व खण्डन के जाँच आख्या प्रेषित करनेके कारण उसके आधार पर नियोकता अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रश्नगत आदेश विधिविरुद्ध एवं त्रुटिपूर्णहोनेकेकारण, न्यायहित मेंआवास की धनराशि की वसूली प्रार्थी के वेतन से किये जाने की कार्यवाही स्थगित करने व प्रश्नगत आदेश संशोधित किये जाने योग्य है।

7- यह कि अपीलकर्ता के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद-226 के अन्तर्गत श्रीमान् उप निदेशक (पंचायत) चित्रकूट धाम मण्डल बाँदा के पास निम्न आधारों केसाथ अपील दायर करनेका अधिकार है। तथा प्रश्नगत अधिकारी द्वारा प्रार्थी के विपरीत विधि विरुद्ध आदेश पारित कर वेतन अवरुद्ध करतेहुयेदेयक / भुगतान पर रोक लगा रखी है। जिससेअपीलकर्ताके परिवार केसमक्ष जीविका का भीषण संकट उत्पन्न हो गया हैतथा परिवार केभरण-पोषण का समस्त भार आपत्तिकर्तापर ही निहित है। जिसको संज्ञान मेंरखतेहुए आवास की धनराशि की वसूली प्रार्थी के वेतन सेकरायेजानेसम्बन्धी आदेश पर न्यायहित मेंतत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

8- यह कि आपत्तिकर्ताके विरुद्ध प्रश्नगत अधिकारी द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 16.05.2025 मनमाना तथा विधि विरुद्ध एवं पाकृतिक न्याय केविरुद्ध है। तथा भारतीय संविधान केअनुच्छेद-16 का खुला WRIA No. 19765 of 2025 4 उल्लंघन है। क्योंकि वसूली हैतु कुल राशि के समायोजन तक किशतों का भुगतान करनेतथा माहै जुलाई की वेतन वृद्धि पर रोक लगानेसम्बन्धी आदेश दिया गया है। जबकि यहाँउल्लेख करना समाचीन हैकि श्रीमान् खण्ड विकास अधिकारी नरैनी व पटल सहायक लेखाकार ब्लाक नौना धनराशि अवमुक्त करनेके लिये पूर्णतयः उत्तरदायी है। क्योंकि आवास की धनराशि का भुगतान श्रीमान्खण्ड विकास अधिकारी तथा पटल सहायक/आवास लेखाकार के संयुक्त डोंगल सेकिया जा रहा है। इससेस्पष्ट हैकि प्रश्नगत आदेश नैसर्गिक न्याय केविरुद्ध व संशोधित किये जाने योग्य है।

9- यह कि अपीलकर्ताका पेग्रेड अच्छा नहीं है। तथा उसेपर्याप्त कारण बतातेहुयेदण्डित करतेहुयेजिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.05.2025 उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील 1999) केनियम-3 केप्राविधानों केविपरीत है। तथा आपत्तिकर्ता/ अपीलकर्ताकेविरुद्ध पारित किये गयेआदेश मेंप्रार्थी केविरुद्ध कई दण्ड प्रचलित कर दियेगयेहैं। जबकि 1 दण्ड ही दिया जाना न्यायोचित था तथा प्रार्थी की वेतन वृद्धि अवरुद्ध करतेहुये, वेतन आहैरण पर रोक लगाया जाना न्यायसंगत नहीं है। अतः अपीलकर्तावेतनवृद्धि की अवरुद्धता समाप्त करतेहुये, आपत्तिकर्ताकी पूर्णअवरुद्ध वेतन वृद्धि आदेश पत्रांक1449 दिनांक 03.12.2020 पर भी विचार करतेहुयेदिनांक 01.07.2021 सहित समस्त देयकों का अविलम्ब भुगतान करातेहुयेअपीलकर्ता को न्याय प्रदान कियेजानेहैतु आदेश प्रदान करतेहुयेअविलम्ब भुगतान कराये जाये। जिससे प्रार्थी न्याय पा सके।

10-यह कि आपत्तिकर्ताका यहाँउल्लेख करना समाचीन है कि अपीलकर्तानेश्रीमान्खण्ड विकास अधिकारी नरैनी केसमक्ष आधार कार्ड एवं पासबुक सहित निर्धारित प्रपत्र मेंआवश्यक सभी सही दस्तावेज प्रस्तुत

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



किये थे, अतः उक्त प्रकरण में अपीलकर्ता की ओर से कोई दोषसिद्ध नहीं होता है। वह दोषी नहीं है। प्रार्थी के विरुद्ध विरचित किये गये आरोप पत्र में शिकायतकर्ता का बैंक खाता संलग्न है। 12100100017532 ही अंकित किया गया था अतः अपीलकर्ता के विरुद्ध पारित किया गया आदेश दिनांक 16.05.2025 पूर्णतः विधि विरुद्ध है। अतः उक्त में अपीलकर्ता दोषी नहीं है। अतः उक्त आदेश में न्यायहित में संशोधित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

11-यह कि अपीलकर्ता ने गठित किये गये आरोप पत्र में, गठित किये गये आरोपों का पुरजोर खण्डन किया है तथा जाँच अधिकारी को विस्तृत स्पष्टीकरण तथा विधि अनुसार साक्ष्य भी उपलब्ध कराये, परन्तु जाँच अधिकारी द्वारा उनका विधिवत् परिशीलन नहीं किया गया तथा बिना स्थलीय सत्यापन किये ही सरसरी तौर पर द्वेषभावना से ग्रस्त होकर कुंठित मानसिकता सहित अपनी जाँच रिपोर्ट जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय को प्रेषित कर दी जिसकी शिकायत मुझ अपीलकर्ता के द्वारा कार्यालय में जि० पत्र एवं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर दिया था जिसके परिणामस्वरूप जाँच अधिकारी ने अपनी जाँच आख्या में अपनी मंशा प्रकट करते हुये आरोप पत्र में गठित आरोपों के लिये आपत्तिकर्ता को दोषी माना है। जो कि न्याय निर्णयन के विपरीत है।

12-यह कि अपीलकर्ता के विरुद्ध जाँच अधिकारी ने पाँचवा आरोप विरचित किया कि वह 15 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम-1999 के प्रावधानों के अनुसार उचित आचरण न करने का दोषी पाया गया है। तत्सम्बन्ध में आपत्तिकर्ता/ अपीलकर्ता ने पुरजोर खण्डन किया तथा विस्तृत उत्तर पत्रावली पर उपलब्ध है तथा यह भी स्पष्ट किया कि अपीलकर्ता ने गान पंचायत अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन अत्यन्त निष्ठा और ईमानदारी के साथ किया है। परन्तु जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा पारित आदेश दि०- 16.05.2025 के द्वारा जिसमें उन्होंने तथ्यों तथा साक्ष्यों पर स्वयं के न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना निलंबन आदेश को बहाल कर दिया और ब्लाक महुआ जिला-बाँदा में तैनात कर दिया गया तथा सजा भी प्रावधानित की गयी जिसमें अपीलकर्ता को निर्देश भी किया कि परियोजना निदेशक डी०आर०डी०ए०, बाँदा ने 5 लाभार्थी शारदा पुत्र कुनौवा को एक महीने के भीतर आवास की धनराशि अर्थात् रु०-1,20,000/- रुपये प्रदान किये जिसे बाद में प्राप्त कर लिया जाये अन्यथा जून माह के वेतन से 1/3 वेतन काट लिया जायेगा उक्त आदेश विधि विरुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण है।

13-यह कि अपीलकर्ता ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर लाभार्थियों के आवासों का निरीक्षण व जियो टर्गिंग भी किया है तथा उक्त ग्रामसभा में आवास के लाभार्थियों की संख्या-175 थी, प्रत्येक सभी में मेरे द्वारा समय-समय पर उपस्थित होकर निरीक्षण किया गया है तथा बाद निरीक्षण मामला संज्ञान में आने पर कि शारदा पुत्र कुनौवा के आवास की धनराशि ब्लाक स्तरीय कर्मचारियों की लापरवाही से ग्राम पंचायत बघेलावारी के कमलेश के खाते में अंतरित कर दी गयी है। जिसमें अपीलकर्ता के द्वारा तत्काल उक्त की जानकारी श्रीमान् खण्ड विकास अधिकारी, नरैनी व पटल सहायक को दिनांक 25.10.2024 को पत्र द्वारा अवगत भी कराया था, परन्तु उक्त प्रश्नगत अधिकारी के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी तथा आपत्तिकर्ता के ग्राम पंचायत तुरा के कार्यालय लेटर हैड पर श्रीमती रूपा पत्नी कमलेश को दिनांक 16.10.2024 को नोटिस जारी कर पैसा वापस करने हेतु कार्यवाही की थी तथा अपीलकर्ता पर लगाया गया आरोप सं०-4 भी सिद्ध नहीं होता जिसका परिशीलन जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा न कर आपत्तिकर्ता को ही दोषी मानते हुये त्रुटिपूर्ण आदेश दिनांक 16.05.2025 पारित कर दिया गया है। जिसे संशोधित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



14-यह कि अपीलकर्ताकेद्वारा जाँच अधिकारी केसमक्ष उपस्थित होकर गठित आरोप पत्र केप्रत्येक बिन्दुओं पर अपना खण्डन तथा तर्क साक्ष्य केसाथ उपलब्ध कराये, परन्तुउक्त के द्वारा बिना न्याय मस्तिष्क का प्रयोग कियेअपीलकर्ताके स्पष्टीकरण के आधार पर ही विधि विपरीत जाँच आख्या जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय मेंप्रस्तुत कर दिया जिसके आधार पर जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा मस्तिष्क की अप्रयोजिता सेत्रुटिपूर्ण आदेश दिनांक 16.05.2025 पारित कर अपीलकर्ता का शारीरिक तथा मानसिक व आर्थिक उत्पीड़न करतेहुयेअपीलकर्ताकेविरुद्ध कई दण्ड लगातेहुयेअपीलकर्ताको सेवा मेंबहाल कर दिया, परन्तु वेतन मेंप्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की किश्त धनराशि की कटौती, तथा वेतन पर रोक, एवं वेतन वृद्धि स्थाई रूप सेअवरुद्ध कर कठोर चेतावनी के साथ कर दियेजबकि अपीलकर्ता उपरोक्त आरोपों के विपरीत अपनेस्पष्टीकरण मेंप्रत्येक आरोप के समुचित उत्तर तर्क तथा साक्ष्य के साथ पहलेही जाँच अधिकारी को प्रेषित कर चुका था, परन्तुप्रश्नगत अधिकारी नेबिना किसी तर्क व खण्डन केजाँच अधिकारी की आख्या का ही आधार मानतेहुयेत्रुटिपूर्णआदेश दिनांक 16.05.2025 पारित कर प्रार्थी का उत्पीड़न किया जिससेक्षुब्ध होकर अपीलकर्ताको मा० उच्च न्यायालय की शरण मेंजाकर याचना करना पड़ा जिसकी रिट पिटीशन सं०-11006/2025 जनपद-बाँदा राजेश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मेंपारित आदेश के अनुक्रम में मा० उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नगत अधिकारी द्वारा वसूली सम्बन्धित आदेश था जिस पर अपीलकर्ताका माहै जून 2025 का वेतन कटौती 1/3 कर आवास लाभार्थी हैतु किया गया था, पर पूर्णतः रोक लगातेहुयेवेतन प्रदान कियेजानेके सम्बन्ध मेंआदेश पारित करतेहुयेश्रीमान्उप निदेशक (पंचायत) चित्रकूट धाम मण्डल बाँदा के समक्ष अपील प्रस्तुत करतेहुये3 माह के भीतर उक्त अपील का निस्तारण कियेजानेहैतु आदेश पारित कर दियेगयेहैं। आदेश की सत्यापित प्रति प्रस्तुत अपील के साथ प्रेषित करतेहुयेसमय अपील निस्तारित कर प्रश्नगत आदेश दिनांक-16.05.2025 संशोधित करतेहुयेअपीलकर्ताको न्याय प्रदान करने की कृपा करें।

अतः श्रीमान्जी सेप्रार्थना हैकि प्रश्नगत अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक-16.05.2025 संशोधित करते हुयेअपीलकर्ताके वेतन सेआवास की धनराशि न काटतेहुयेव पिछलेसभी वेतन वृद्धियाँसमाहित करतेहुये समस्त देयकों का समय भुगतान कियेजानेसम्बन्धी आदेश पारित कियेजानेहैतु प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की कृपा करें। श्रीमान् जी की महान दया होगी।"

13. अपीलीय आदेश दिनांक 14.11.2025 निम्नलिखित रूप में है:

"उपरोक्तानुसार अपीलार्थी द्वारा प्राप्त करायेगयेप्रत्यावेदन व संलग्न साक्ष्य तथा श्री राजेश कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी की उपलब्ध व्यक्तिगत पत्रावली मेंसंलग्न अभिलेखों / साक्ष्यों का परीक्षण किया गया, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

अपीलार्थी श्री राजेश कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी केविरुद्ध पूर्व मेंभी प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 केआवंटित ग्राम पंचायतों में14 आवासों का अतिरिक्त लक्ष्य दिया गया था, जिसकेसापेक्ष इनके द्वारा मात्र 05 आवासों को ही पूर्णकराया गया। शेष आवासों को पूर्णन करायेजानेतथा अन्य लाभार्थीपरक योजनाओं के कार्यो मेंरुचि न लिए जानेके दृष्टिगत जिला पंचायत राज अधिकारी, बाँदा के कार्यालय पत्रांक1324 दिनांक 17.11.2020 के द्वारा इनके विरुद्ध आरोप-पत्र निर्गत किया गया था तथा बाद मेंपत्रांक1449 दिनांक 03.12.2020 के द्वारा अपीलार्थी की एक वेतन वृद्धि 01.07.2021 को स्थायी रूप से रोकते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की गयी थी।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र० के पत्रांक-1067/वि०कार्य० /2005 दिनांक 08.07.2005 के द्वारा जारी दिशा-निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि यदि आवास है तो किसी अपात्र लाभार्थी का चयन किया जाता है तो सन्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा। प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन ग्राम्य विकास अनुभाग-9 के शासनादेश संख्या-1019/38-9-2008-654 दिनांक 25 जून, 2009 में भी चयनित लाभार्थी को अपात्र पाये जाने पर ग्राम स्तरीय अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी को व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी माना जायेगा, अंकित है।

उपरोक्तानुसार जाँच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जाँच आख्या एवं पूर्व में भी प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 के आवंटित ग्राम पंचायतों में 14 आवासों के सम्बन्ध में जिला पंचायत राज अधिकारी, बांदा द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-1449 दिनांक 03.12.2020 के द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध की गयी दण्डात्मक कार्यवाही और आयुक्त ग्राम्य विकास के उल्लिखित पत्र दिनांक 06.07.2005 तथा प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, ग्राम्य विकास के शासनादेश दिनांक 25.06.2009 के क्रम में अपीलार्थी श्री राजेश कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी को जिला पंचायत राज अधिकारी, बांदा द्वारा अपने आदेश पत्रांक-375, दिनांक 16.05.2025 के माध्यम से दिये गये समस्त दण्डों से सहमत होते हुए अपीलार्थी को दण्डादेश में अनुतोष प्राप्त करने का पात्र नहीं पाया गया है।

अतः जिला पंचायत राज अधिकारी, बांदा के दण्डादेश पत्रांक-375 दिनांक 16.05.2025 को यथावत रखते हुए उपरोक्तानुसार मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 04.08.2025 के समामर में अपीलार्थी/ राजेश कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी, विकास खण्ड-महुआ का प्रत्यावेदन दिनांक 18.08.2025 एतद्वारा निस्तारित किया जाता है।"

14. विवादित आदेश के सरसरी अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी तर्क पर विचार नहीं किया गया है।

15. न्यायालय के मत में, एक बार जब अपील में कुछ आधार लिए जाते हैं, तो अपीलीय प्राधिकारी का यह कानूनी दायित्व होता है कि वह उन आधारों पर किसी न किसी रूप में विचार करे; उन्हें सुविधानुसार अनदेखा नहीं किया जा सकता। चूंकि अपीलीय आदेश में प्रस्तुत तर्कों का निराकरण नहीं किया गया है, अतः अपीलीय आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता।

16. तदनुसार, रिट याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

(क) प्रतिवादी संख्या 2, उप निदेशक (पंचायत), चित्रकूट धाम मंडल बांदा द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 14.11.2025 निरस्त किया जाता है।

(ख) मामले को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर विधि के अनुसार कड़ाई से नया आदेश पारित करने हेतु वापस भेजा जाता है।

17. तदनुसार, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

4 फरवरी, 2026

आशु

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"